**विविध बैंक प्र0सं0 65/2017 ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, Through Chief Manager cum Authorised Officer, Resolution Recovery Law Cluster Office Sriganganagar (Raj.) बनाम 1–मैसर्स भारद्वाज सेल्स एजेन्सी, प्लाट न0 3, वार्ड न0 2 केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर प्रो0 श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री सुभाषचंद शर्मा निवासी नजदीक मलकाना कॉटन फैक्ट्री अरोड़वंश मन्दिर, केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर–ऋणी 2–श्री सुभाषचन्द पुत्र श्री रामचंद निवासी वार्ड न0 1 केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर–गारन्टर 3–श्री रमेश कुमार पुत्र श्री दयाल राम निवासी वार्ड न0 6 केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर– गारन्टर।**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**13.03.2018**

**प्रार्थी** ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के अभिभाषक श्री भारतभूषण महेन्द्रा उपस्थित है। उनके द्वारा फहरिस्त सूचि के साथ धारा 13(2) के नोटिस की प्रति प्रस्तुत की, जो शामिल पत्रावली की गई। प्रार्थी बैंक के अभिभाषक की बहस दिनांक 26.02.2018 को सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

**प्रार्थी** ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के अभिभाषक श्री भारतभूषण महेन्द्रा का कथन था कि उनके द्वारा एक प्रा0 पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है (जिसे आगे अधिनियम कहा जाकर सम्बोधित किया जावेगा) कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मैसर्स भारद्वाज सेल्स एजेन्सी, प्लाट न0 3, वार्ड न0 2 केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर प्रो0 श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री सुभाषचंद शर्मा निवासी नजदीक मलकाना कॉटन फैक्ट्री अरोड़वंश मन्दिर, केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में 1,25,000/–रूपये (अखरे एक लाख पच्चीस हजार मात्र) ऋण दिनांक 24.08.2011 को स्वीकृत किया था। उक्त ऋण की सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थी गारन्टर श्री सुभाषचन्द पुत्र श्री रामचंद निवासी वार्ड न0 1 केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर ने अपना आवासीय मकान स्थित प्लाट न0 2 का भाग (साईज 20 गुणा 25 वर्गफुट) वार्ड न0 1 केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण एव ब्याज का भुगतान नियमित रूप से नही करने के कारण उसका ऋण खाता दिनांक 31.10.2016 को एनपीए हो गया है। अप्रार्थी ऋणी की ओर दिनांक 31.10.2106 तक ऋण राशि 1,30,333.98/–रूपये एवंम आगे का ब्याज तथा अन्य खर्चे बकाया है। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के नोटिस दिनांक 8.11.2016 को रजि0 डाक से भिजवाये गये। रजि0 एडी रसीद एवं पोस्ट ऑफिस के डाक वितरण विवरण के अनुसार अप्रार्थीगण को नोटिस दिनांक 11.11.2016 को प्राप्त हो चुके है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा नोटिस के संबंध में अपना कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्रार्थी बैंक को प्रस्तुत नही किया है और न ही प्रार्थी बैंक की बकाया समस्त ऋण राशि जमा करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी गारन्टर श्री सुभाषचन्द पुत्र श्री रामचंद निवासी वार्ड न0 1 केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बधंक रखा गया आवासीय मकान स्थित प्लाट न0 2 का भाग (साईज 20 गुणा 25 वर्गफुट) वार्ड न0 1 केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

**मैने** ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी मैसर्स भारद्वाज सेल्स एजेन्सी, प्लाट न0 3, वार्ड न0 2 केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर प्रो0 श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री सुभाषचंद शर्मा निवासी नजदीक मलकाना कॉटन फैक्ट्री अरोड़वंश मन्दिर, केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में 1,25,000/–रूपये (अखरे एक लाख पच्चीस हजार मात्र) ऋण दिनांक 24.08.2011 को स्वीकृत किया था। उक्त ऋण की सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थी गारन्टर श्री सुभाषचन्द पुत्र श्री रामचंद निवासी वार्ड न0 1 केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर ने अपना आवासीय मकान स्थित प्लाट न0 2 का भाग (साईज 20 गुणा 25 वर्गफुट) वार्ड न0 1 केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। प्रार्थी बैंक के प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र दि0 12.07.2017 व पत्र दिनांक 29.11.2017 के अनुसार अप्रार्थीगण को प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 08.11.2016 को बकाया ऋण राशि मय ब्याज जमा करवाने हेतु अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजि0 नोटिस जारी किये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा मांग सूचना के उत्तर में न तो कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है और न ही प्रार्थी बैंक की बकाया सम्पूर्ण ऋण राशि जमा करवाई है। इसलिए उक्त बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

**चूंकि प्रार्थी** बैंक द्वारा अप्रार्थीगण 1–मैसर्स भारद्वाज सेल्स एजेन्सी, प्लाट न0 3, वार्ड न0 2 केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर प्रो0 श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री सुभाषचंद शर्मा निवासी नजदीक मलकाना कॉटन फैक्ट्री अरोड़वंश मन्दिर, केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर–ऋणी 2–श्री सुभाषचन्द पुत्र श्री रामचंद निवासी वार्ड न0 1 केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर–गारन्टर 3–श्री रमेश कुमार पुत्र श्री दयाल राम निवासी वार्ड न0 6 केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर–गारन्टर के नाम धारा 13(2) के अन्तर्गत रजि0 डाक से नोटिस दिनांक 08.11.2016 को भिजवाये गये। पत्रावली में उपलब्ध रजि0 एडी रसीदें व पोस्ट ऑफिस के डाक वितरण विवरण के अनुसार रजि0 डाक से भिजवाये गये नोटिस दिनांक 08.11.2016 अप्रार्थीगण को प्राप्त हो चुके है। प्रार्थी बैंक के धारा 14 के प्रा0 पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 12.07.2017 व पत्र दिनांक 29.11.2017 के अनुसार भी अप्रार्थीगण को उक्त धारा 13(2) के नोटिस प्राप्त हो चुके है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण की ओर से मांगपत्र के उत्तर में अपना कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्रार्थी बैंक को प्रस्तुत नही किया और न ही उनके द्वारा प्रार्थी बैंक की सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि जमा करवाई है। इसलिए अप्रार्थी गारन्टर श्री सुभाषचन्द पुत्र श्री रामचंद निवासी वार्ड न0 1 केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बधंक रखा गया आवासीय मकान स्थित प्लाट न0 2 का भाग (साईज 20 गुणा 25 वर्गफुट) वार्ड न0 1 केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना आवश्यक है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः प्रार्थी ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, Through Chief Manager cum Authorised Officer, Resolution Recovery Law Cluster office Sriganganagar (Raj.) का उक्त प्रार्थना पत्र धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी गारन्टर श्री सुभाषचन्द पुत्र श्री रामचंद निवासी वार्ड न0 1 केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बधंक रखा गया आंवासीय मकान स्थित प्लाट न0 2 का भाग (साईज 20 गुणा 25 वर्गफुट) वार्ड न0 1 केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु उनके चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( ज्ञाना राम )
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर